आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
29/09/2023		

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

Confiscation Case No. -08/2023-24

सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा **बनाम** अजय यादव एवं अन्य अज्ञात

आदेश

यह वाद पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक-709/अप0शा0, दिनांक-23.05.2023 द्वारा बिन्दापाथर थाना काण्ड संख्या-26/2023 दिनांक-28.04.2023 में डम्पर गाड़ी संख्या-WB37C-0120, जप्त 05 (पाँच) क्विंटल कच्चा कोयला राजसात (Confiscation) की कार्रवाई हेतु आदेश देने का अनुरोध पर दायर है।

अजय यादव के विद्व. अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे डम्पर गाड़ी संख्या-WB37C-0120, चालक है। उक्त डम्पर गाड़ी संख्या-WB37C-0120, का चालक Eastern Coal Field Ltd. Chitra Colliery के शर्मा ट्रांसपोर्ट एजेंसी से संबंधित है। डम्पर में लोड प्रश्नगत कोयला Eastern Coal Field Ltd. Chitra Colliery से वैध चालान द्वारा लिया गया है। जामताड़ा रेलवे साइडिंग रोड में आने क्रम में बिन्दापाथर थाना के पुलिस द्वारा गैर कानूनी रूप से उक्त डम्पर गाड़ी संख्या-WB37C-0120, जप्त 05 (पाँच) क्विंटल कच्चा कोयला को जप्त कर लिया गया। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम वर्ग जामताड़ा के न्यायालय के वाद-M.C.A NO-664/2023 में दिनांक-06.06.2023 को पारित आदेश के द्वारा केवल डम्पर गाड़ी संख्या-WB37C-0120 को मुक्त किया गया है। पुनः अपीलकर्त्ता के विद्व अधिवक्ता द्वारा जप्त 05 (पाँच) क्विंटल कच्चा कोयला वैध चालान रहने के कारण प्रश्नगत कच्चा कोयला अवैध खनिज के अन्तर्गत नहीं आता है।

विद्व सरकारी अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक-709/अप0शा0, दिनांक-23.05.2023 द्वारा बिन्दापाथर थाना काण्ड संख्या-26/2023 दिनांक-28.04.2023 में डम्पर गाड़ी संख्या-WB37C-0120, जप्त 05 (पाँच) क्विंटल कच्चा कोयला राजसात (Confiscation) की कार्रवाई हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है। सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि व्यवहार न्यायालय जामताड़ा में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम वर्ग जामताड़ा के न्यायालय के वाद-M.C.A NO-664/2023 में दिनांक-06.06.2023 को पारित आदेश में प्रश्नगत गाड़ी को मुक्त किया गया है। इससे पूर्व ही उपायुक्त महोदय के न्यायालय जामताड़ा में उक्त थाना कांड संख्या में जप्त प्रश्नगत गाड़ी एवं कच्चा कोयला के विरूद्ध राजसात की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गया है। इस प्रकार The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 की Rule 11(V) "Any Minerals, tool, equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." के अनुसार उक्त काण्ड में गाड़ी संख्या-WB37C-0120, एवं जप्त 05 (पाँच) क्विंटल कच्चा कोयला राजसात (Confiscation) की कार्रवाई किया जाना न्यायसंगत होगा।

उभय पक्षों के विद्व अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख संलग्न कागजातों अवलोकन किया गया। व्यवहार न्यायालय जामताड़ा में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम वर्ग जामताड़ा के न्यायालय के वाद-M.C.A NO-664/2023 में दिनांक-06.06.2023 को पारित आदेश में प्रश्नगत गाड़ी संख्या-WB37C-0120, को मुक्त किया गया है। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उक्त वाद दिनांक-09.06.2023 को प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वाद के प्रारंभ होने के पूर्व ही न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम वर्ग जामताड़ा के न्यायालय के आदेश द्वारा प्रश्नगत

गाड़ी को मुक्त किया गया।

अतः पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक-709/अप0शा0, दिनांक-23.05.2023 द्वारा बिन्दापाथर थाना काण्ड संख्या-26/2023 दिनांक-28.04.2023 में डम्पर गाड़ी संख्या-WB37C-0120 को राजसात (Confiscation) की कार्रवाई से मुक्त किया जाता है एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 की Rule 11(V) "Any Minerals, tool, equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." के अनुसार उक्त काण्ड में जप्त 05 (पाँच) क्विंटल कच्चा कोयला को राजसात (Confiscation) किया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी जामताड़ा को निदेश दिया जाता है कि वे जप्त 05 (पाँच) क्विंटल कच्चा कोयला को नियमानुसार निलामी के पश्चात् प्राप्त राशि को जिला कोषागार जामताड़ा के सुसंगत शीर्ष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2023.10.09 09:07:43 +05:30
Location: 192.168.43.106